INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNO-ENGINEERING
IJTE

ISSN: 2057-5688

मनुस्मृति द्वारा वर्णित विवाह व्यवस्था

(वर्त्तमान समाज में दृष्टिगोचर)

Meena Rani DG[1] Dr.Santosh Mishra[2]
[1]Research Scholar, Department of Sanskrit, Monad University, Hapur, UP.
[2]Associate Professor, Department of Sanskrit, Monad University, Hapur, UP

मनुस्मृति विरुद्धायासा स्मृतिर्नप्रशस्यती

सूरोपनिबंधत्वार् प्राधान्यंहि मनोः स्मृतेः - बृहस्पति |

(मनुस्मृति के विपरीत धर्म आदि की प्रतिपादिका स्मृति श्रेष्ठ नहीं है, वेदों के अर्थ के अनुसार होने के कारण मनुस्मृति ही प्रधान है)

मनुस्मृति, स्मृतियों में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पुराने हिंदू धर्मग्रंथों में से एक है । इसे मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, नृविज्ञान भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि मनु ने इसकी रचना 200 ईसा पूर्व - 200 ईसवी के बीच किया था । इसमें 12 अध्यायों में 2,684 श्लोक हैं ।

यह हमारा परिचय वैदिक साहित्य से कराती है । भारतीय धर्म शास्त्रों में यह ग्रन्थ अद्वितीय है । विद्या, विद्या प्राप्त करने की विधि, शिष्य के कर्तव्य, उत्तम शिष्य की विशेषताएँ, राजा के कर्तव्य, मंत्रियों का चयन, गुरु के प्रति सम्मान की भावना, विवाह के लिए योग्य आयु, विवाह के प्रकार, प्रशासन, ग्राम अधिकारी के कर्तव्य, दंड विधान, आदि अनेक विषयों की जानकारी प्राप्त होती है ।

इस विज्ञान के द्वारा हम आदिम मनुष्य, विभिन्न जातियों, संघों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । हिंदू परंपरा के अनुसार, मनुस्मृति को ब्रह्मा की कथा का संग्रह माना जाता है । प्राचीन भारत के लोग दुनिया की व्यवस्था और नियमितता को ईश्वर की इच्छा और इरादे की अभिव्यक्ति के रूप में मानते थे और राक्षसी वृत्ति पर दैवीय ताक़तों की स्पष्ट विजय मानते थे । इसलिए, प्राचीन काल से ही भारत में कई विद्वानों और संघों द्वारा व्यक्तियों के आचरण और हिंदू समाज के क्रम और नियमितता को नियंत्रित करने वाले कानून तैयार किए थे । उनके कार्य आज हमें धर्म शास्त्रों के

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNO-ENGINEERING
IJTE
ISSN: 2057-5688

रूप में उपलब्ध हैं, जिनमें से मनु (मनु-स्मृति) का कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ।

मानव जीवन को समझने के लिए स्मृतियों को समझना अनिवार्य है | इसमें मानव जीवन निर्वाह, वेदों में वर्णित मानव के प्राकृतिक गुणों को जानने और एक निश्चित जीवन जीने के लिए आवश्यक सिद्धांत बताए गए हैं । वैदिक धर्म शास्त्रों, के आविर्भाव के बाद ही स्मृति ग्रंथों की उत्पत्ति हुई होगी ऐसा माना जा सकता है ।

कर्मणां च विवेकार्थं धर्माधर्मौ व्यवेचयत् ।
द्वन्द्वैरयोजयच्चेमाःसुखदुखादिभिःप्रजाः॥

स्मृतियां, आमतौर पर प्राचीन ऋषियों द्वारा दिए गए उपदेश और उनके आदेश माने जाते हैं, और हमें शिलालेखों के रूप में प्राप्त होते हैं । इसीलिए स्मृतियों को उनके संबंधित नामों से पुकारा जाता है । उदाहरण के लिए मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, आदि ।

`मनवा' शब्द का उद्भव संस्कृत शब्द `मनु' से हुआ है । मनु के वंशज मानव रूप में जन्म लेने लगे । मनु शब्द का अर्थ है, जिसके पास ज्ञान है । धर्म का अभ्यास आचरण से किया जाता है ।

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः /
तै सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो ह निर्बभौ //

कृतेतु मानवाःप्रोक्ताः त्रेतायां गौतम स्मृतिः।
द्वापरे शंखलिखिता कलौ पाराशर स्मृतिः //

मानव समाज में धर्म संबंधी विषयों, आचार, व्यवहार, पद्धतियों का पालन करने के लिए हर युग में स्मृतियों का आधार लिया जाता था । कृत युग में मनुस्मृति, त्रेता युग में गौतम धर्मशास्त्र, द्वापर युग में शंख लिखित स्मृति, कलयुग में पाराशर स्मृति, माने जाते हैं । इन सभी के लिए मनुस्मृति को प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है ।

इस प्रपत्र में मैं मनुस्मृति में वर्णित विवाह, विवाह के प्रकार विषय में अपना शोध पत्र, पाठकों के समक्ष रखना चाहती हूँ ।

विवाह :

मनु स्मृति में, समाज में लोगों को चार श्रेणियों में बाँटा है: शिशु से लेकर आठ वर्ष की आयु तक बाल्यकाल, 8 से 16 यौवन काल, 16 से 48 गृहस्थ, 48 से वानप्रस्थ का होता था । वर्तमान समय में हम इनको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ,और संन्यास नाम से जानते है । मनु की राय है कि उस उम्र में वे अपने

ISSN: 2057-5688

मामलों को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं ।

जब लड़का या लड़की, स्त्री-पुरुष, यौवन काल में पदार्पण करते हैं तो प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं । वे एक दूसरे के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए समाज की स्वीकृति भी आवश्यक है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसी लिए समाज में रहते हुए उसे कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक हो जाता है, इसी संबंध को विवाह की संज्ञा दी गई है । मनुष्य का मन चंचल होता है, उसको स्थिरता की आवश्यकता भी होती है, जब ये दोनों स्त्री पुरुष एक बंधन में बंध जाते हैं तो वे एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं । मानव समाज को विकसित करने, सभ्यता को बनाए रखने, की यह प्रक्रिया विवाह कहलाता है । इसमें वे एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य, आचार-विचार, पद्धतियों, का पालन करते हुए सफल जीवन निर्वाह करते हैं ।

चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताऽहितान्।
अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्निबोधत ॥ २० ॥

मनु ने चार वर्णों के लोगों के ईहलोक व परलोक के हित-अहित के लिए आठ प्रकार के विवाहों का विधान है ।

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः
प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः।
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशचश्चाष्टमोऽधमः॥ २१ ॥

१. ब्राह्म, २. दैव, ३. आर्ष, ४. प्रजापत्य, ५. आसुरी, ६. गंधर्व, १७. राक्षसी और ८. पैशाची

षडानुपूर्व्या विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान् /
विशूद्रयोस्तु तानेव विद्याद्धर्म्यान्नराक्षसान् ॥ २३ ॥

आरंभिक छः विवाह ब्राह्मण के लिए हैं तथा क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के लिए आर्ष, प्रजापत्य, आसुरी व गंधर्व विवाह अभीष्ट हैं ।

चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्प्रशस्तान्कवयो विदुः /
राक्षसं क्षत्रियस्यैकमासुरं वैश्यशूद्रयोः ॥२४॥

विद्वानों ने कहा है कि ब्राह्मणों के लिए आरंभिक चार विवाह अत्यधिक शुभ हैं। क्षत्रियों को राक्षसी विवाह तथा वैश्यों शूद्रों को आसुरी विवाह श्रेष्ठ कहा है।

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNO-ENGINEERING
IJTE
ISSN: 2057-5688

पञ्चानां तु त्रयो धर्म्याः द्वावधम्य स्मृताविह पैशाचश्चासुरश्चैव न कर्त्तव्यौ कदाचन ॥ २५ ॥

आरंभिक पांच प्रकार के विवाहों में तीन धर्मानुकूल हैं और शेष दो धर्म के प्रतिकूल हैं । पैशाची व राक्षसी विवाह कदापि न करना ही उचित है ।

हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने से पहले, विवाह के आठ रूप थे, चार स्वीकृत और चार अप्राप्त है ।

ब्राह्मणी विवाह :

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम् ।
आहूय दानं कन्यायाःब्राह्यो धर्मः प्रकीर्तितः॥२७॥

बुद्धिमान, पवित्र व सुशील पात्र का चयन कर उसे कन्या दान करना 'ब्राह्म' विधान का विवाह माना जाता है । एक ब्राह्मण, एक गुणवान व्यक्ति, शिक्षित होता है, वरुण को दहेज़ देता है, वेषभूषा से युक्त होकर पूजा करता है और एक कुंवारी कन्या का दान करता है | यह विवाह का सर्वोत्तम अनुष्ठान है | समस्त भारत में इसी विधि का पालन होता है | इसे सामाजिक प्रगति का एक उन्नत चरण माना जाता है । मनु द्वारा निर्देशित इस प्रकार के विवाह को दिव्य विवाह से भी उत्तम माना गया है | हिन्दू क़ानून के अनुसार इसे सर्व सम्मत माना जाता है |

दिव्य विवाह :

यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते ।
बुलाक अलङ्कृत्य सुतादानं दैवं प्रचक्षते ॥२८॥

यज्ञों का अनुष्ठान व सम्मान करनेवाले ऋत्विज का चयन, उसे अलंकृत कर कन्या दान करना 'देव' विधान का विवाह माना जाता है ।

अर्श विवाह:

एकं गोमिथनुं द्वे वा वरादादाय धर्मतः।
धर्मं कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मःस उच्चते ॥२९॥

'आर्ष' विधि के विवाह में वर-पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक-एक अथवा दो-दो गाय-बैल का जोड़ा दिया जाता है, फिर उसे विधि पूर्वक कन्या का दान किया जाता है ।

महाकाव्यों और पुराणों में विवाह के इस रूप के कई उदाहरण हैं, इनमें से एक है लोपामुद्रा के साथ ऋषि अगस्त्य का विवाह । विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में विवाह के इस रूप के महत्व पर प्रकाश डाला गया है । विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति विवाह के इस रूप में एक युवती देता है, वह स्वर्ग में विष्णु के क्षेत्र में पहुंचने की क्षमता अर्जित करता है ।

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNO-ENGINEERING
IJTE
ISSN: 2057-5688

प्रजापत्य विवाह :

सहोभौ चरतां धर्ममिति
वाचानुभाष्य चा ।
कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधि
स्मृतः॥

कन्या दान करने के लिए वरुण द्वारा गृह स्वामी का शपथ ग्रहण जिसे हम वर्तमान विवाह में काशी यात्रा के नाम से देख सकते हैं । शादी के इस रूप में, पिता अपनी बेटी को उचित सम्मान देते हुए कहता है: "आप दोनों अपने नागरिक और धार्मिक कर्तव्यों को एक साथ निभा सकते हैं", आप धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष कर्तव्यों को निभाने के लिए भागीदार होंगे । प्रजापति नाम बहुत ही इंगित करता है कि यह जोड़ी, बच्चों की खरीदी और परवरिश के लिए प्रजापति को, ऋण की अदायगी के लिए एकमात्र बंधन में प्रवेश कराती है । विवाह के इस रूप में मूल शर्त यह है कि दूल्हा-दुल्हन को धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक साथी के रूप में मानता है और प्रस्ताव दूल्हे की ओर से आता है ।

राक्षस विवाह :

हत्त्वा छित्त्वा च भित्त्वा च
क्रोशन्तीं रुदती गृहात् ।
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो
विधिरुच्यते ॥

कुंवारी की इच्छा से, या उसके रिश्तेदारों की इच्छा से, उसे जबरन धमकाया जाता है । दूल्हे को पैसे दिए जाते हैं, इसे दुल्हन-मूल्य कहा जाता था । दूल्हा, अपने पिता या पैतृक परिजनों को यह पैसे या कर दे कर, आहत कर, रोती-बिलखती कन्या का हरण किया जाता है।

आसुरी विवाह :

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै
चैव शक्तितः।
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो
धर्म उच्यते ॥

'आसुरी' विधि के विवाह में माता-पिता व कन्या वर से यथाशि द्रव्य (धन) लेते हैं, फिर उसे कन्यादान किया जाता है। इस प्रकार विवाह का यह रूप वाणिज्यिक लेन-देन के रूप में दो परिवारों के बीच एक समझौते पर आधारित है ।

रामायण में उल्लेख है कि राजा दशरथ के साथ विवाह के लिए कैकेयी के संरक्षक को दुल्हन की शानदार कीमत दी गई थी । महाभारत में दुल्हन के परिजनों के लिए एक बड़ी राशि की पेशकश की गई थी । इसे भारत के असुरों या आदिवासी गैर-आर्यन जनजातियों में विवाह का असुर रूप कहा जाता था ।

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNO-ENGINEERING
IJTE
ISSN: 2057-5688

गंधर्व विवाह :

इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः
कन्यायाश्च वरस्य चा गान्धर्वः।
स तु विज्ञेयो मैथुन्यःकामसम्भवः
॥

जो विवाह वर-वधू बिना बड़ों की अनुमति के करते हैं, वह प्रेम विवाह है जिसे हम आज देख सकते हैं । विवाह का गंधर्व रूप आपसी सहमति से एक पुरुष और एक महिला का मिलन है । मनु के अनुसार "एक युवती और एक आदमी का स्वैच्छिक संबंध एक गंधर्व संघ के रूप में जाना जाता है जो वासना से उत्पन्न होता है" । ऐसा माना जाता है कि हिमालय की ढलानों पर रहने वाले 'गंधर्व' नामक जनजाति द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित होने के कारण विवाह के इस रूप को 'गंधर्व' कहा जाता है। महाभारत में विवाह के इस गंधर्व रूप के कई उदाहरण हैं । राजा 'दुष्यंत' ने 'शकुंतला' को शादी के गंधर्व रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया ।

शैतानी विवाह :

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो
पत्रोपगच्छति ।
सपापिष्ठो विवाहानां पैशाचः
प्रथितोऽथमः॥

एक कुमारी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना और डराना। पी.वी. केन के अनुसार, विवाह के इस रूप को रक्षा सूत्र कहा जाता है क्योंकि रक्षा सूत्र (राक्षसों) को किवदंतियों से जाना जाता है जो क्रूरता और ज़बरदस्ती विधि के आदी रहे हैं।

द्रौपदी और अर्जुन के विवाह का उल्लेख यहाँ किया गया है ।

निष्कर्ष :

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च
तद्विदाम् ।
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च
॥ ६ ॥

वेद निश्चय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत | वेदों को अखिल विश्व में धर्म का स्रोत माना गया है । नृविज्ञान, सभी विज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ है । हम जानते हैं कि जो अनुष्ठान हम करते हैं, वह धर्म में कैसे परिणत हो जाता है । हमारे सभी अनुष्ठानों का स्रोत हमारे धर्म शास्त्र हैं । हमारे समाज में विवाह एक अत्यन्त प्रमुख प्रक्रिया है, जिसका पालन मनुष्य नियमों के अनुसार करता है और ये सभी नियम हमें स्मृतियों में वर्णित दिखाई पड़ते हैं, जिसका आचरण हम सदियों से करते चले आ रहे हैं ऐसे माना जाता है कि महर्षि भृगु ने विस्तार से बताया था :

ISSN: 2057-5688

यो यस्यैषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः।
सर्वं शृणुत तं विप्राःसर्वं कीर्तयतो मम ॥ ३६॥

वर्तमान भारतीय परिदृश्य में, सामाजिक-कानूनी दृष्टिकोण से, हिंदू विवाह के तीन रूप मौजूद हैं। ये विवाह के ब्रह्मा, असुर और गंधर्व रूप हैं । उच्च जाति के हिंदू सबसे संस्कृति रूप में विवाह के ब्रह्मा रूप को मानते हैं । विवाह का असुर रूप आमतौर पर निचली जातियों के बीच प्रचलित है और गंधर्व विवाह आधुनिक युवाओं में प्रेम विवाह के रूप में तेजी से बढ़ रहा है ।

संदर्भ ग्रन्थ :

अ) हिंदी :

1. मनुस्मृति – आचार्य रामानंद सरस्वती

आ) तेलुगु :

2. मनुस्मृति - नललदीशूला लक्ष्मी
3. धर्मशास्त्र रत्नाकरम - आलूकुरी मल्लिकार्जुन रेड्डी
4. धर्मशास्त्रलो शिक्षा स्मृति - विट्ठल
5. पाराशर स्मृति - याकुंडी व्यास मूर्ति शास्त्री
6. मानव धर्मशास्त्र - रायप्रोलू राधांग पाणि
7. हैंदव धर्म स्मृतुलु - खंड वल्ली सूर्य नारायण शास्त्री
8. सनातन धर्म दानि विशिष्टता - स्वामी मुकुंदानंद
9. धर्मम - विवेकानंद रेड्डी
10 मनु धर्मशास्त्रम - आवंच सत्यनारायण
11 हिंदू धर्मशास्त्र - मोहन रेड्डी